

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रम संख्या :- 170/चूरु/2001-02

यह प्रमाणित किया जाता है कि ~~सर्वोदय बांध निरुत्तम~~

~~संस्था, रतनगढ़ जिला-चूरु~~ का पंजीयन राजस्थान सोसायटी
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28,1958) के
अन्तर्गत दिनांक ~~14.1.2002~~ को किया गया था ।

अब इस संस्था का नाम परिवर्तन कर ~~सर्वोदय बांध निरुत्तम~~ शिक्षा

~~समिति रतनगढ़ जिला-चूरु~~ कर दिया गया है ।

यह परिवर्तन राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के
प्रावधानान्तर्गत किया गया है ।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की सील से आज दिनांक 28/7/2011
को चूरु में दिया गया ।

रजिस्ट्रार संस्थाएं
रजिस्ट्रार संस्थाएं
चूरु